कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय हाजा के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी–2/स्था./वाणिज्य इतिहास/2018 दिनांक 27.05.2018 द्वारा श्री दिलीप कुमार गर्ग, व्याख्याता, इतिहास–राउमावि सोगर जिला भरतपुर को आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय कार्यालय तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) भरतपुर किया गया था। तत्पश्चात श्री गर्ग का पदस्थापन कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी–2/स्था./वाणिज्य इतिहास/एपीओ पदस्थापन/2018 दिनांक 06.06.2018 द्वारा राउमावि बरोली धाऊ जिला भरतपुर किया गया। उक्त आदेशों के विरूद्ध श्री दिलीप कुमार गर्ग द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 857/2018 दिलीप कुमार गर्ग बनाम श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.06.2018 द्वारा आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 27.05.2018 एवं आदेश दिनांक 06.06.2018 को अपीलार्थी श्री दिलीप कुमार गर्ग की सीमा तक एतद् द्वारा निरस्त किया गया है। अतः माननीय अधिकरण के आदेश की अनुपालना में विभागीय आलोच्य आदेश दिनांक 27.05.2018 एवं आदेश दिनांक 06.06.2018 का क्रियान्वयन अपीलार्थी श्री दिलीप कुमार गर्ग की सीमा तक निरस्त किया जाता है जिसके फलस्वरूप श्री गर्ग राउमावि सोगर जिला भरतपुर में व्याख्याता (इतिहास) के पद पर पूर्ववत कार्यरत रहेंगे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/सी–2/इतिहास/अपील/857/2018 दिनांक 17/12/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक) भरतपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
6. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
8. सम्बन्धित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)